न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या :– 02 / 2020

बनाम	
1. मंजू पत्नि सुरेन्द्रसिंह भाटी, जाति रावणा राजपूत निवासी मकान नं0 34, सेनापति भवन के पीछे, हाईकोर्ट कालोनी, जोधपुर, जिला जोधपुर, (राज0)	रेस्पोडेन्टस 1. नरेन्द्रसिंह पुत्र गणपतसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी फस्ट फलोर, ओम साई कॉम्पलेक्स, विनायक होण्डा कम्पनी, डाक बंगला रोड, सोजतसिटी, तह0 सोजत, जिला 2. पाली, (राज0) राजेन्द्रसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी तृतीय–फेस, प्लॉट नंबर एम–4ए, सांखला प्लास्टिक इण्डस्ट्री, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सोजतसिटी, तह0 सोजत, 3. जिला पाली, (राज0) सरपंच ग्राम पंचायत खारिया नींव तह0 सोजत, जिला पाली राजस्थान।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध

ना.स. 308 स्वीकृत सरपंच ग्राम पंचायत खारीयानींव

तारीख रजू :– 24.08.2020

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी एवं श्री गणेशराम देवासी, अधिवक्तागण अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री कैलाश दवे अधिक्ता रेस्पोडेन्टस उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 29.10.2020

अधिवक्ता अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अपीलान्ट की माता लक्ष्मीदेवी पत्नि गणपतसिंह के नाम की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम चामडियाक पटवार हल्का रामासनी बाला तह0 सोजत में खसरा नंबर 227, 228, 231, 232, 305 कुल खसरा 05 कुल रकबा 12.9800 हैक्टर स्थित हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि लक्ष्मी देवी पत्नि गणपतसिंह के नाम की खरीद सुदा खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित थी, वादस्थ कृषि भूमि पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 काबिज काश्त चले आ रहे है। लक्ष्मीदेवी, अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस की माता है। लक्ष्मीदेवी का स्वर्गवास दिनांक 09.09.1994 को हो चुका है। अपीलान्ट एवं उमादेवी सरोज तथा रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 लक्ष्मीदेवी की जायन्दा संतान है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत लक्ष्मीदेवी की सम्पति अपीलान्ट तथा उमादेवी, सरोज एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 का बराबर बराबर हक व अधिकार निहित हो चुका है। लक्ष्मीदेवी का निंवसीयती स्वर्गवास हुआ है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 15(1)(क) के अनुसार लक्ष्मीदेवी की निंवसीयति मृत्यु होने से वादग्रस्त सम्पति में अपीलान्ट रेस्पोडेन्टस एवं उनके पति तथा पुत्रीयां उमादेवी, सरोज में न्यायगत हुई तथा सभी का बराबर बराबर हक एवं अधिकार निहित हुआ। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 अपीलान्ट के सगे भाई है तथा गणपतसिंह अपीलान्ट के पिता है। अपीलान्ट रेस्पोडेन्टस एवं अपने पिता पर पूर्ण विश्वास एवं भरोसा करते है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस पर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

पूर्ण विश्वास कर लिया था कि उनकी माता की सम्पति में माता लक्ष्मी देवी के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त सम्पति में नाम दर्ज करवा दिया होगा। लेकिन अपीलान्ट की माता के स्वर्गवास के बाद गणपतसिह एवं रेस्पोडेन्टस ने लक्ष्मीदेवी का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 308 बाले बाले अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम ही दर्ज करवा दिया तथा अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही करवाया। जबकि अपीलान्ट मृतक लक्ष्मीदेवी के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। जिनका वादग्रस्त सम्पति मे हक व अधिकार निहित हो चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं पिता गणपतसिह ने तत्कालिन राजस्व अधिकारीयो से तथ्यों को छुपाते हुए अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं नोटिस दिये बिना लक्ष्मी देवी के सभी विधिक वारिसान की जांच किये बिना पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15.11.1998 को रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर आर0आई0 साहब से दिनांक 04.01.1999 को जांच करवाकर सरपंच ग्रा0पं0 खारियानीव में पंजीकृत करवा दिया, जो नामान्तरकरण संख्या 308 विधि विरूद्ध दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 308 अपीलान्ट के हक व अधिकारों के विरूद्ध बेअसर शुन्य एवं अप्रभावी है। उक्त अवैध नामान्तरकरण संख्या 308 के आधार पर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में मात्र रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई, जबकि उक्त अवैध नामान्तरण संख्या 308 के आधार पर रेस्पोडेन्ट अकेले को कोई हक व अधिकार वादग्रस्त सम्पति में प्राप्त नही होते है, न ही सम्पूर्ण कृषि भूमि पर रेस्पोडेन्टस काबिज है। अपीलान्ट भी उक्त कृषि भूमि पर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत हक व अधिकार प्राप्त होने से काबिज काश्त चले आ रहे है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 ने जानबूझकर अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने एवं वादग्रस्त सम्पति से महरूम करने की गरज से अपीलान्ट का नाम नामान्तरकरण संख्या 308 में दर्ज नही करवाया, जबकि अपीलान्ट का नाम भी वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड के नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत था। नामान्तरकरण संख्या 308 सरपंच ग्राम पंचायत खारियानीव द्वारा स्वीकृत करने से पूर्व लक्ष्मीदेवी के सभी विधिक वारिसान की जांच करना चाहिए था। लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत खारियानीव द्वारा लक्ष्मीदेवी के सभी विधिक वारिसान की कोई जांच नही कर नामान्तरकरण संख्या 308 की स्वीकृति की दिनांक भी अंकित नही की गई है तथा किन आधारो पर स्वीकृत किया गया उसका उल्लेख भी नही किया गया। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर भी नही दिया गया, न ही कोई सूचना, नोटिस आदि दिया गया। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 308 अपीलान्ट के हक व अधिकारों के विरूद्ध बेअसर, शून्य व अप्रभावी होने से काबिले निरस्त के है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 सगे भाई बहिन है तथा गणपतसिंह अपीलान्ट के पिता है। जिस पर अपीलान्ट पूर्ण विश्वास एवं भरोसा करते है। अपीलान्ट ने विश्वास किया था कि उनकी माता लक्ष्मी देवी का स्वर्गवास होने के बाद उनकी खातेदारी कृषि भूमि में नामान्तरकरण सभी विधिक वारिसान का दर्ज करवा दिया गया है। लेकिन रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 ने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में अपीलान्ट का नामान्तरकरण जानबूझकर दर्ज नही करवाया, न ही उक्त तथ्यों के बारे में अपीलान्ट को बताया गया। अपीलान्ट ने हाल ही में उक्त कृषि भूमि ऋण लेने हेतु राजस्व रेकर्ड की नकले लेने एवं भूमि प्रमाण पत्र लेने हेतु पटवारी हल्का से दिनांक 08.06.2020 को सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त कृषि भूमि नरेन्द्रसिंह व राजेन्द्रसिंह के नाम की है तथा आपका नाम भी दर्ज नही है। तब अपीलान्ट ने उक्त कृषि भूमि में नाम दर्ज नही होने की जानकारी हुई, इससे पहले अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी। अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरकरण की नकल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर पाली के रेकर्ड शाखा से दिनांक 10.06.2020 को प्राप्त करने पर पूर्ण जानकारी हुई कि अपीलान्ट की माता लक्ष्मीदेवी के स्वर्गवास के बाद नामान्तरकरण संख्या 308 दर्ज करते समय अपीलान्ट

उप खण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

का नाम दर्ज नही करवाया गया। अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज नही करवाने से अपीलान्ट वादग्रस्त कृषि भूमि से मेहरूम हो रहे है तथा अपने जायज हक अधिकारो से भी वंचित होना पड रहा है। अपीलान्ट लक्ष्मीदेवी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत अपीलान्ट का वादग्रस्त सम्पति में कानूनन हक व अधिकार बनता है। नामान्तरकरण संख्या 308 अपीलान्ट के हक एवं अधिकारों के विरूद्ध बेअसर, शुन्य एवं अप्रभावी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के पास अपील पेश कर नामान्तरकरण संख्या 308 निरस्त करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहा है तथा अपीलान्ट नामान्तरकरण संख्या 308 निरस्त करवा कर लक्ष्मीदेवी के सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज करवाने के अधिकारी है। इसलिए यह अपील विरूद्ध अपीलान्ट अन्दर म्याद पेश है। अपीलान्ट को पूर्व में वादग्रस्त कृषि भूमि में नाम दर्ज नही करने की कोई जानकारी नही थी, न ही कोई जानकारी रेस्पोडेन्ट के द्वारा दी गई। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस पर पूर्ण विश्वास किया था कि वादग्रस्त कृषि भूमि में लक्ष्मीदेवी के स्थान पर नामान्तरकरण दर्ज करवाते समय अपीलान्ट का नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया गया होगा। लेकिन रेस्पोडेन्टस ने अपीलान्ट को बिना सूचना दिये एवं तत्कालिन राजस्व अधिकारियों ने तथ सरपंच ग्राम पंचायत खारियानींव ने भी बिना सूचना दिये एवं मृतक लक्ष्मीदेवी के सभी विधिक वारिसान की जांच किये बिना नामान्तरकरण संख्या 308 विधि विरूद्ध दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट को लॉकडाउन के बाद उक्त कृषि भूमि पर ऋण लेने की आवश्यकता हुई, तब अपीलान्ट ने दिनांक 08.06.2020 को वादग्रस्त कृषि भूमि की नकले प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर जानकारी में आया कि वादग्रस्त कृषि भूमि में अपीलान्ट का नाम दर्ज नही है। तब अपीलान्ट ने वादग्रस्त कृषि भूमि के दस्तावेजो की नकले पाली रेकर्ड शाखा से दिनांक 10.06.2020 को प्राप्त करने पर पूर्ण जानकारी हुई कि वादग्रस्त कृषि भूमि में अपीलान्ट का नाम दर्ज नही करवाया गया है। अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तैयार करवाकर अपील अन्दर म्याद पेश की हुई है। सरकार द्वारा कोरोना महामारी रोकथाम हेतु लाकडाउन होने की वजह से अपील पेश करने में देरी हुई है। अपील अन्दर म्याद शुमार करने हेतु धारा 05 म्याद अधिनियम का अलग से प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा चामडियाद तहसील सोजत में स्थित होने से एवं नामान्तरकरण संख्या 308 सरपंच ग्राम पंचायत खारियानीव द्वारा स्वीकृत करने न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार की है। अतः अपील अपीलान्ट मय अधिवक्ता द्वारा राजस्व अपील मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर ग्राम पंचायत खारीयानीवं द्वारा ग्राम चामडियाक की कृषि भूमि खसरा नंबर 227, 228, 231, 232 एवं 305 का स्वीकृत नामान्तरकरण सख्या 308 को निरस्त फरमाये जाने एवं लक्ष्मीदेवी पत्नि गणपतसिंह के सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट जरिए सम्मनस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्वयं दिनांक 09.09.2020 को उपस्थित हुए, ने अधिवक्ता नियुक्त किये जाने का समय चाहने पर एक अवसर दिया गया, किन्तु अनेकानेक अवसरों के बावजूद अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया है तथा न ही स्वय ं न्यायालय में उपस्थित हुए है अर्थात् रेस्पोडेन्ट 2 व 3 को सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से आज एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता मय अपीलान्ट ने राजस्व अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश कर अपीलान्ट ने अंकित किया कि पूर्व में वादग्रस्त कृषि भूमि में नाम दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

करने की कोई जानकारी नही थी, न ही कोई जानकारी रेस्पोडेन्टस के द्वारा दी गई। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस पर पूर्ण विश्वास किया था कि वादग्रस्त कृषि भूमि में लक्ष्मीदेवी के स्थान पर नामान्तरकरण दर्ज करवाते समय अपीलान्ट का नाम भी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवा दिया गया होगा। लेकिन रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को बिना सूचना दिये एवं तत्कालीन राजस्व अधिकारीयों ने तथा सरपंच ग्राम पंचायत खारीयानीवं ने भी बिना सूचना दिये बिना नामान्तरकरण संख्या 308 विधि विरूद्ध दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट को लाकडाउन के बाद उक्त कृषि भूमि पर ऋण लेने की आवश्यकता हुई, तब दिनांक 08.06.2020 को वादग्रस्त कृषि भूमि की नकले प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर जानकारी में आया कि वादग्रस्त कृषि भूमि में अपीलान्ट का नाम दर्ज नही है। तब अपीलान्ट ने वादग्रस्त कृषि भूमि के दस्तावेजो की नकले पाली रेकर्ड शाखा से दिनांक 10.06.2020 को प्राप्त करने पर पूर्ण जानकारी हुई कि वादग्रस्त कृषि भूमि में अपीलान्ट का नाम दर्ज नही करवाया गया है। अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तैयार करवाकर अपील अन्दर म्याद पेश की हुई है। सरकार द्वारा कोरोना महामारी रोकथाम हेतु लॉकडाउन होने की वजह से अपील पेश करने में देरी हुई है। अपील अन्दर म्याद शुमार करने हेतु धारा 05 म्याद अधिनियम का अलग से प्रा0 पत्र पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधि0 अन्दर म्याद शुमार पेश कर अपील पेश करने में देरी को क्षम्य किया जाकर अपील स्वीकार किये जाने की ईशतदुआ की है। दिनांक 09.09.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री कैलाश दवे अधिवक्ता ने वकालतनामा व धारा 05 म्याद अधिनियम का जबाब पेश कर अंकित किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 15.11.1998 को पटवारी हल्का द्वारा पारित एवं दिनांक 04.01.1999 को आर0आई0 हल्का द्वारा जांच प्रस्तुत कर ग्राम पंचात खारीया नींव द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 308 को चैलेज किया गया। उक्त म्यूटेशन स्वीकृत हुए 22 वर्षो से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, अपीलाण्ट स्वयं अपने को इसी परिवार की सदस्य बता रही है, जिससे यह सावित होता है कि उक्त म्यूटेशन की जानकारी म्यूटेशन स्वीकृत होने के रोज से अपीलाण्ट को रही है। अपीलाण्ट द्वारा पारिवारिक रंजिश के कारण 22 वर्ष पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की है जो पृथम दृष्टया खारिज के है। अपीलान्ट म्यूटेशन अपील के जरिए अपने हक अधिकार तय करवाना चाहती है। जबकि म्यूटेशन अपील एक फिशकल प्रकिया है, जिसमें किसी प्रकार के हक अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। यदि अपीलाण्ट का जैर अपील वादस्थ भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा आता है तो उसके लिए धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर वाद की प्रक्रिया अपना कर ही किसी पक्षकार के हक अधिकार तय किये जा सकते है । म्यूटेशन अपील के जरिए अपीलाण्ट के हक अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। इसलिए प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। वादस्थ भूमि पर वर्ष 1994 में जब खातेदार लक्ष्मी देवी का स्वर्गवास हुआ, तब से रेस्पोडेन्टस ही काबिज है जिसमें अपीलाण्ट या अन्य किसी भी शख्स या संस्था का कोई कब्जा या दखल नहीं रहा है। कब्जा के अभाव में भी उपरोक्त म्यूटेशन अपील चलने योग्य नही है। क्योंकि अपीलाण्ट केवलमात्र म्यूटेशन अपील के जरिए अपने हक अधिकार तय करवा कर वादस्थ भूमि का कब्जा प्राप्त करना चाहती है, जो कानून अपील के जरिए नहीं किया जा सकता है। इसके लिए राजस्व विधि में प्रावधान उल्लेखित है, जिन प्रावधानों के तहत रेगुलर सूट प्रस्तुत कर ही रीलिफ प्राप्त की जा सकती है। जिससे प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया काबिल खारिज के है। अपीलाण्ट द्वारा बिल्कुल गलत, निराधार तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है, जिसमें अपीलाण्ट को किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नही होनी है। अपीलाण्ट का यह लिखना सर्वथा गलत है कि अपीलाण्ट को पूर्व में वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज नहीं करने की कोई जानकारी नहीं थी। बल्कि अपीलाण्ट

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

A6/6

को उसका हिस्सा वक्त विवाह व उसके बाद समय समय पर सामाजिक कार्यक्रमों के तहत दे दिया गया था। इसलिए उक्त भूमि में अपीलाण्ट का कभी भी कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। वक्त म्यूटेशन स्वीकृत अपीलाण्ट स्वयं रेस्पोडेन्ट के साथ ही थी तथा रेस्पोडेन्ट के पिता गणपतसिंह भी रेस्पोडेन्ट के साथ थे। जिनको उक्त म्यूटेशन की स्वीकृत होने के वर्ष 1998 से ही जानकारी रही है। अपीलाण्ट का यह लिखना भी सर्वथा गलत है कि अपीलाण्ट को बिना सूचना दिये तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा म्यूटेशन स्वीकृत किया गया। जबकि तत्कालीन राजस्व अधिकारी एवं सरपंच द्वारा तमाम वैध वारिसान की जांच कर वारिसानों की सहमति अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में म्यूटेशन स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट का यह लिखना भी सर्वथा गलत है कि लॉकडाउन के बाद उक्त कृषि भूमि पर ऋण लेने की आवश्यकता हुई। जबकि 22 वर्षो में किसी खातेदार द्वारा कभी भी अपनी भूमि की जमाबंदी नकल प्राप्त नही की हो यह संभव नहीं है। वह 22 वर्षो में जिस भूमि की जमाबंदी नकल प्राप्त नही की हो यह संभव नही है वह 22 वर्षो में जिस भूमि के खातेदार है उसका राजस्व रेकर्ड कभी भी नहीं देखा हो यह मानने योग्य तथ्य नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में कपोल कल्पित तारीख अंकित की है। दिनांक 08.06.2020 या अन्य किसी भी दिनांक को वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। अपीलाण्ट द्वारा केवलमात्र पारिवारिक रंजिश की वजह से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को तंग परेशान करने की गरज से उक्त अपील 22 वर्षो पश्चात म्याद बाहर प्रस्तुत की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपील म्यूटेशन स्वीकृत होने के 30 दिन में प्रस्तुत की जानी कानूनन आवश्यक है अपीलाण्ट द्वारा 22 वर्षो की देरी की हुई है जो कतई क्षम्य किये जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अपील म्याद अधिनियम से वर्जित होने से प्रथम दृष्टया काबिले खारिज होने से धारा 05 म्याद अधि0 खारिज किये जाने तथा प्रस्तुत राजस्व अपील भी म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अपीलाण्ट ने म्यूटेशन अपील की लिखित बहस पेश कर अंकित किया, कि अपीलान्ट की माता लक्ष्मीदेवी पत्नि गणपतसिंह के नाम की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा चामडियाक पटवार हल्का–रामासनी बाला तह0 सोजत में स्थित खसरा नंबर 227, 228, 231, 232, 305 कुल खसरा 05 कुल रकबा 12.9800 हैक्टर स्थित है। अपीलाण्ट की माता लक्ष्मीदेवी की निर्वसियति मृत्यु दिनांक 09.09.1994 को हो चुकी है। उनके स्वर्गवास के बाद उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत खारियानींव के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 308 अपीलाण्ट को सुने बिना एवं बिना नोटिस दिये तथा लक्ष्मीदेवी के पत्नि विधिक वारिसान का जांच किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम ही स्वीकृत कर दिया गया। लक्ष्मी देवी निर्वसीयती स्वर्गवास होने से उनके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान अपीलान्ट मंजू देवी, उमादेवी, सरोज देवी, एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नरेन्द्रसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राजेन्द्रसिंह तथा उनके पति गणपतसिंह हुए। हिन्दु उपराधिकारी अधि0 की धारा 15(1)(क) के अनुसार लक्ष्मीदेवी का निर्वसीयति स्वर्गवास होने से उक्त कृषि भूमि से उनके पुत्र, पुत्रियॉ एवं पति में उक्त सम्पति निहित हुई तथा सभी का बराबर बराबर हक एवं अधिकार निहित हुआ है। लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत खारीया नींव द्वारा विधि विरूद्ध तरीके के नामान्तरकरण संख्या 308 स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट के हक एवं अधिकारो के विरूद्ध बेंअसर शून्य एवं अप्रभावी है। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के उक्त सम्पूर्ण सम्पति में कोई हक एवं अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। इसलिए अपीलान्ट उक्त नामान्तरकरण संख्या 308 को खारिज करवाने की अधिकारिणी है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

A 6/06

अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत क्रमशः (1) Vineeta sharma V/s Rakesh Sharma & Ors Civil Appeal No- 32601/2018 Dicision Date 11-08-2020 In the supreme court of India में उल्लेख है कि पुत्रिया का भी पिता की सम्पति मे हक एवं अधिकार बाई बर्थ निहित होता है, उनको मन माने ढंग से छोडा नही जा सकता है, संयुक्त हिन्दु परिवार के प्रत्येक सहदायिक का समान हक व अधिकार निहित होता है। (2) 2020(2)RRT 617 (SC) Kalindi Damodar Garde (D) by LRS V/s Manohar Laxman Kulkarni (D) by LRS हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 06 के अनुसार पिता की सम्पति में सभी संताने अधिकार व हित रखती है, पुत्रों व पुत्री के बीच पूर्ण रक्त सम्बन्ध रहता है। (3) 2013 (2) RRT 1284 Mhachi devi & Ors V/s Prahalad & Ors मृतक की पुत्रियों का नाम भूमि नामान्तरित नहीं की। पुत्रियां प्रथम श्रेणी की वारिसान है, और मनमाने ढंग से नहीं छोडा जा सकता है। ऐसे एक पक्षीय आदेश से परिसीमा तात्विक नहीं है।(4) 2020 (2) RRT 846 Sugani V/s Durgaram & Ors इस प्रकरण में भी पुत्रियों को उनके हिस्से की हकदार माना गया है। नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 25.12.1971 को स्वीकृत किया गया था। जिसकी अपील में निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.05.2015 में किया गया। उक्त अपील में भी धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया था, जिन्हे भी वर्ष 2015 में स्वीकार किया गया। अपील को गुणावगुण पर निर्णित की गई। (5) 2018-19 (Supp.) RRT 430 Sibba devi V/s Girriraj Prasad & Ors नामान्तरकरण के विरूद्ध 22 वर्ष बाद अपील की गई अप्रार्थी ने 1/3 हिस्से का दावा किया। एस0डी0एम0 साहब ने देरी माफ की। इस प्रकरण में दिनांक 30.09.1977 को नामान्तरकरण संख्या 307 स्वीकृत किया गया था, जिसकी जानकारी दिनांक 27.08.1999 को होने पर अपील पेश की गई, जिस अपील को न्यायालय हाजा ने म्याद अन्दर जानते हुए निर्णित की गई है। नामान्तरकरण एक फिसकल प्रकिया है। (6). 2017 (4) DNJ (SC) Page 928 Sufficient cause should receive a liberal construction so as to advance substantial Justice. Court should adopt a justice orientel approach in condoning the delay. (7). 2011 (2) RJT 803 Gangadhara Palo V/s the revenue Divisional officers & Ors A liberal view should have been taken while condoining the delay. (8). 2008(2) RJT 1535 (SC) State (NCT Dehli) V/s Ahmed Jaan Lenth of Delay. (9) 2008 (1) RRT 1406 Rajasthan Odyogic & Khanji Vikas Nigam, Jodhpur & Ors V/s Shiva ram इस प्रकरण में 32 वर्ष बाद अपील पेश की गई थी, जिसमें स्पष्ट किया गया कि विलम्ब समन हेतु कालावधि सारवान नहीं है, लेकिन पर्याप्त कारण सारवान है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने निर्णित किया कि विधि का सारवान प्रश्न है व अन्य अन्तर्ग्रस्त है तथा अपील को मेरिट पर अधिनिर्णित करने का निश्चय किया। (10) 2012(1) RRT 727 Sitaram V/s Ramesh Kumar At the time of condonation of delay, marits of the case should also be considered. (11) 2018(1) RRT 601 (SC) K Subbarayudu & Ors V/s Special Deputy Collector Sufficient cause should receive a liberal construction so as to advance substaintial Justice. (12) 2002(1) RRT 53 Shanker & Ors V/s Deva (deceased) throught LRs. & Ors उक्त प्रकरण में स्पष्ट किया गया कि अपील के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए। धारा 05 के परिसीमाकाल के अधिनियम के आवेदन पत्र निरस्त करने एवं अपील का कालावधि से बाधित मानकर निरस्त करने से पूर्व न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि

उप खण्ड अधिकारी
(जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

अपील के गुणावगुण पर नजर डाली जाए और जब तक अपील पूर्णतया सारहीन नही पाई जावे तब तक सामान्यतः अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। पर्यापत कारण विचार करते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अपीलान्ट ने अपने अपील के साथ ही म्याद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलान्ट के सगे भाई है। अपीलान्ट अपने भाई एवं पिता पर पूर्ण विश्वास एवं भरोसा करती है। अपीलान्ट को पूर्ण विश्वास एवं भरोसा था कि उनकी माता के स्वर्गवास बाद उनकी सम्पति में उनके सभी विधिक वारिसान का नाम दर्ज करवाया होगा, लेकिन रेस्पोडेन्ट ने उनकी माता के स्वर्गवास के बाद नामान्तरकरण सांख्या 308 अपने नाम ही दर्ज करवाया तथा अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं करवाया गया है। उक्त कृषि भूमि में अपीलान्ट का हक व अधिकार निहित है तथा मनमाने ढंग से नहीं छोडा जा सकता है। अपीलान्ट का उक्त कृषि भूमि में विधिक हक एवं अधिकार निहित हो चुका है तथा अपने नाम से भी नामातरकरण दर्ज करवाने की अधिकारीणी हैं ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है तथा अपील अन्दर म्याद नामान्तरकरण की जानकारी होते ही तुरन्त प्रभाव से अपील तैयार करवाकर अपील अन्दर म्याद पेश की गई है तथा अपील को अन्दर म्याद सुमार करते हुए अपील का गुणवगुण पर निर्णित किया जाना कानूनन आवश्यक है, जिसमें अपीलान्ट के साथ सही न्याय हो सके। अतः लिखित बहस पेश कर अपीलान्ट की अपील को अन्दर म्याद सुमार किया जाकर अपील स्वीकार फरमाई जावे एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 308 को खारिज किया जाकर लक्ष्मीदेवी के सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने की ईश्तदुआ की है।

जिसके जबाब बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने व्यक्त किया कि ना0स0 308 स्वीकृत दिनांक 04.01.1999 (15.11.1998 को भरा जाकर) स्वीकृत हुए 22 वर्षो से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। अपीलान्ट स्वयं द्वारा अपने पारिवारिक सदस्य होना बताने से उक्त म्यूटेशन कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को रही है। मात्र हैरान व परेशान करने की गर्ज से इतनी लम्बी समयावधि पश्चात् प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। अपील की बहस में व्यक्त किया कि अपील के जरिए अपीलान्ट के हक अधिकार तय नहीं किये जा सकते। चूँकि म्यूटेशन अपील एक फिशकल प्रक्रिया है। अन्तर्गत धारा 88 घोषणा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद सक्षम न्यायालय में अपनाये जाने पर ही किसी भी पक्षकार को हक व अधिकार तय किये जा सकते है। म्यूटेशन अपील के जरिए हक अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। वर्ष 1994 में लक्ष्मी देवी के स्वर्गवास पश्चात् से अपीलाधीन कृषि भूमि पर रेस्पोडेन्ट काबिज होने से अपीलान्ट का कब्जाकाश्त नहीं रहने से कब्जा के अभाव में भी अपील चलने योग्य नहीं है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति वक्त तत्कालीन राजस्व अधिकारी एवं सम्बद्ध सरपंच द्वारा समस्त वैध वारिसान की जॉच कर वारिसानों की सहमति अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामान्तरकरण पारित किया गया। 22 वर्षो पश्चात् अब नकलें प्राप्त होना तथा अन्य क्षम्य अवधि के कपोलकल्पित तारीख व कारण ढूँढना मात्र है। अपीलान्ट द्वारा मात्र अपील के जरिए हक अधिकार करवाने की चेष्टा मात्र है, जो सर्वथा वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जरिए ही मेरिट पर बाद विवेचन/विश्लेषण तय किया जा सकता है। लिहाजा अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील के सलंग्न प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने तथा राजस्व अपील अवधि पार (म्याद बाहर) तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वाद के जरिए ही हक अधिकार तय किया जाना सम्भव होने से सारहीन व तथ्यहीन तथा चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

A-6/08

जाने की ईश्तदुआ की है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने कथनो के समर्थन में न्याय सिद्धान्त आर0आ0डी0 (2008) पेज 814 से 817, आर0आर0टी0(2009)(1) पेज 488 से 495, आर0आर0टी0(2007)(2) पेज 939 से 941, आर0आर0टी0(2009)(1) पेज 179 से 184, आर0आर0टी0(2009)(1) पेज 440 से 443 आर0आर0टी0(2009)(1) पेज 549 से 551, आर0आर0टी0(2009)(1) पेज 353 से 357 में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत/उद्धरण पेश किये है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व अपील मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ–पत्र, जबाब प्रा0 पत्र धारा 05 म्याद अधि0 लिखित बहस अधिवक्ता अपीलान्ट मय न्यायिक दृष्टांतो/उद्धरणों तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा की गई, बहस के दौरान व्यक्त तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टांतो/उद्धरणों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर गौर एवं मनन किया गया । वस्तुतः अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा धारा 05 म्याद अधिनियम प्रा0 पत्र में दर्शित विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने के व्यक्त बहस तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत/उद्धरण उचित चस्पा होते है। जिससे उक्त देरीना अवधि को क्षम्य (कण्डोन) किया जाकर धारा 05 म्याद अधि0 का प्रा0 पत्र. उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए न्याय की दृष्टि से विलम्ब अवधि को क्षम्य न्यायोचित समझते हुए प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं उक्त अवधि को क्षम्य कण्डोन किया जाता है।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किये जाने से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 पर बहस सूनी गई एवं समायत की गई। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेजात यथा नामान्तरकरण संख्या 308 आदि का अध्ययन किया गया एवं बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 308 वर्ष 1999 में स्वीकृत किया जाकर लक्ष्मीदेवी के फौत होने पर नरेन्द्रसिंह पुत्र गणपतसिह 1/2 व राजेन्द्रसिंह पुत्र गणपतसिह सा0 सोजत नयापुरा खातेदार उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण को तत्कालिन पटवारी हल्का रामासनी बाला द्वारा दिनांक 15.11.98 को भरा जाकर दिनांक 04.01.1999 को भू0अ0निरीक्षक सोजत द्वारा जॉच की गई। तत्पश्चात सरपंच ग्राम पंचायत खारियानीव द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया। प्रथम दृष्टया उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत कराने हेतु की गई कार्यवाही प्रकियात्मक रूप से उचित प्रतीत होती है। अपीलाण्ट द्वारा लगभग 22 वर्ष पश्चात् अब अपने हक अधिकारो के लिए भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। राजस्व अपील की समरी प्रोसेडिंग की कार्यवाही मात्र से किसी पक्षकार के हक अधिकार तय नही किये जा सकते है। किसी खातेदार के लम्बे समय से चले आ रहे खातेदारी अधिकारों में किसी प्रार्थना पत्र के आधार पर सरसरी विधिक प्रकिया के द्वारा बिना समूचित साक्ष्यो के बदलाव करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। लम्बे सयम से चले आ रहे खातेदारी अधिकारों में बदलाव/ संशोधन हेतु घोषणा का वाद पेश कर जबाब दावा रेकर्ड पर लिया जाकर, तनकियात कायमी होकर बाद साक्ष्य सबूत/बाद विवेचन विश्लेषण पश्चात् ही हक अधिकार तय किये जा सकते है। अतः 22 वर्षो के पश्चात मात्र राजस्व अपील के जरिये हक अधिकारों को तय किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारीज योग्य होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

–:आदेश :–

उपरोक्त विवेचनों के आधार पर चूँकि धारा 75 एल0आर0एक्ट0 1956 की समरी प्रोसिडिंग की कार्यवाही मात्र से किसी पक्षकार के लम्बी कालावधि के पश्चात् बिना घोषणा का वाद पेश किये हक अधिकार तय किया जाना न्यायोचित नहीं है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारीज योग्य होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner